चेचक वायरस को नष्ट करने की तारीख आगे बढ़ी

यह शायद अब बहुत कम लोग जानते हैं कि चेचक नामक रोग का दुनिया से सफाया हो चुका है। चेचक उन्मूलन अभियान 60 के दशक में चला था और उस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व को चेचक मुक्त घोषित कर दिया था। दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में चेचक वायरस के जितने भी नमूने थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। मगर लगभग सारे नमूने नष्ट किए गए थे, सारे नहीं।

आज चेचक वायरस के नमूने यूएसए और रूस की प्रयोगशालाओं में हैं। कहा गया था कि इन्हें शीघ्र ही नष्ट कर दिया जाएगा। मगर हर बार इन्हें नष्ट करने की तारीख आगे बढ़ती रही है। अब कहा जा रहा है कि इन्हें वर्ष 2014 में नष्ट किया जाएगा। पुणे राष्ट्रीय वायरस विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वायरस अनुसंधान समिति के सदस्य कल्याण बैनर्जी ने हाल ही में नेचर को दिए एक साक्षात्कार में विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस निर्णय को गलत बताया है।

बैनर्जी का कहना है कि चेचक वायरस को बचाकर रखने का कोई औचित्य नहीं है। इन्हें बचाकर रखने के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि यदि किसी संगठन या देश के पास इस वायरस का कोई गुप्त भंडार हो, और वह उसका दुरुपयोग करने पर आमादा हो जाए, तो उससे बचाव के लिए यू.एस. व रूस की प्रयोगशालाओं में रखे इस वायरस की मदद से टीके बनाए जा सकेंगे। बैनर्जी का मत है कि ऐसा टीका उपलब्ध है। जो नए टीके बनाए गए हैं वे निजी कंपनियों के पास हैं और उनका कोई परीक्षण नहीं हुआ है। इनका परीक्षण तभी हो सकता है जब चेचक की महामारी फैले। यानी चेचक की महामारी फैलना इन कंपनियों के हक में होगा।

इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि इस वायरस का कोई भी भंडार सुरक्षित जीवित रख पाना आसान नहीं है। इसलिए यदि कहीं ऐसा कोई भंडार हुआ भी, तो वह बेकार होगा। बैनर्जी ने इस दलील को भी खारिज कर दिया है कि यह वायरस अनुसंधान में काम आएगा। बैनर्जी का सवाल है कि पिछले 30 सालों में किसी ने इस वायरस को हैंडल तक नहीं किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यह तक बता पाने में असमर्थ रहा है कि इन पर क्या अनुसंधान करने की अपेक्षा है।

दरअसल, बैनर्जी मानते हैं कि ये बातें सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि यू.एस. और रूस के पास इस वायरस के भंडार बने रहें और वे सोचते रहें कि इनका क्या किया जा सकता है। बैनर्जी का स्पष्ट मत है कि इन्हें फौरन नष्ट कर दिया जाना चाहिए और इन्हें अपने पास रखने को मानवता के खिलाफ अपराध घोषित कर दिया जाना चाहिए। ***(स्रोत फीचर्स)***